राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

("मिनी रत्न"कम्पनी–भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म
सूरतगढ़335804-राजस्थान ,श्रीगंगानगर ,
सीआईएन:यू74899डीएल1963जीओआई 003913
(प्रमाणित कंपनी 14001:2015 व 9001:2015 आईएसओ)

(A Government of India Undertaking "Mini Ratna" Company)
CENTRAL STATE FARM
Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone :01509-220006, 2,20084 223877
वेबसाईट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/ E-mail: moc.sdeesaidni@hragtarus.fsc

No. CSF/SOG/HRT/05/2024-25/ दिनांकः– 21/03/2024

<u>निविदा सूचना</u>

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) स्थित फलों के बगीचे में वर्ष 2024–25 में किये जाने वाले विभिन्न उद्यानिकी कार्य को करने हेतु निविदायें दिनांक 22/03/2024 सुबह 10.0 बजे से 28/03/2024 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाऐंगी जो कि 28/03/2024 को दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा भरने के दौरान ऑनलाइन माध्यम से निविदा प्रपत्र राशि 236/– रुपये (200+18% GST) अथवा ईएमडी राशि रूपये 10000/– (रुपये दस हजार मात्र) फार्म खाते मे जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निविदा अवधी के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10.00 से शाम 5.00 बजे तक फार्म से निविदा प्रपत्र राशि जमा कर प्राप्त किया जा सकती है व निगम की वेब साईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

निविदादाता को अपने पेन कार्ड की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु आधार अथवा अन्य सबूत की फोटो प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

प्रबन्धक (उ.)
कृते फार्म प्रमुख

PARTICULARS	DETAILS
Date of issue of NIT	22.03.2024
Date and time for submission of online bid	From 22.03.2024 10:00 AM To 28.03.2024 01:00 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode at NSC, HQ, Suratgarh	28.03.2024 on 3.00 PM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT/D.D.)	Rs. 236/- (Rs. 200+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online on e-Nivida)	Rs. 10,000/-
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Suratgarh (Raj.)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Sh. Sukhdeep Singh, Asst. Manager(Production) Mob.- 08901571906 Email:- ago.csfsuratgarh@gmail.com
	Sh. Aman Kumar, Junior Officer I (Agriculture), Mob:- 8178435683 Email:- hortcsfsog@gmail.com

DECLARATION / घोषणा

मैं/हम....................................... मेसर्स .... के मालिक/भागीदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एतद्‌द्वारा निम्नानुसार पुष्टि व घोषणा करता हूं/करते हैं :

I/We …………………………………………............. Proprietor/Partner/Authorized signatory of M/S ……………………….......................... do hereby solemnly confirm and declare as under:

1. मेरी उपरोक्त उल्लेखित फर्म/नाम को केंद्र/राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के किसी भी संगठन/विभाग/स्वायत्त निकाय/अनुसंधान संस्थान/निगम द्‌वारा उनकी निविदाओं/अनुबंधों में भाग लेने से रोक हेतु काली सूची में नहीं डाला गया है/असूचीबद्ध नहीं किया गया है या मुकदमा नहीं चलाया गया है।
   My above mentioned firm/name has not been blacklisted/delisted/prosecuted by any organization/department/autonomous body/research institute/corporation of the Central/State or Union Territory for debarment from participating in their tenders/contracts.

2. मेरे विरूद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
   There is no criminal case pending against me in the Court of law.

3. मैं/हम समझते हैं कि, यदि सेंट्रल स्टेट फार्म, सूरतगढ़ द्‌वारा मुझे/हमें दिए गए **विभिन्न उद्‌यानिकी कार्य** के अनुबंध के किसी भी चरण में मेरे/हमारे द्‌वारा प्रस्तुत की गई अनुबंध से सम्बंधित कोई भी जानकारी/दस्तावेज फार्म द्‌वारा गलत पाए जाते हैं तो अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार फार्म मेरे/ हमारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।
   I/We understand that, if any information/documents relating to the contract submitted by me/us at any stage of the contract for **Various Horticulture Works** awarded to me/us by Central State Farm, Suratgarh are found to be incorrect, the farm can take disciplinary action against me/us as per the terms and conditions of the contract.

यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा की सामग्री मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है। इसमें मेरे द्‌वारा कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

It is verified that contents of above declaration are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

जगह/Place: __________________ हस्ताक्षर/Signature: __________________

तारीख/Date: __________________ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम/ Name of Authorized Signatory: __________________

पता/Address: ____________________________________

____

फ़ोन/मोबाइल नंबर/Phone/Mobile No: __________________

निविदा की तकनीकी आवश्यकता / Technical Requirement of Tender

PARTICULARS/ब्यौरा	DETAILS/विवरण
Copy of GST Registration (If Available)/ जीएसटी पंजीकरण की प्रति (अगर हो तो)	
Copy of Pan Card/ पैन कार्ड की प्रति	
Copy of valid Id Proof i.e. Aadhar Card/Voter Id/Driving License etc. वैध आई डी प्रूफ यानी आधार कार्ड / वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस आदि की कॉपी।	
Copy of Firm Letter Head (If Available)/ फर्म लेटर हेड की प्रति (अगर हो तो)	
Details of EMD Deposite and Tender Form Fee (Rs.)/ ईएमडी जमा राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण (रु.)	
Terms & Conditions of Tender duly signed Note : Each page of Terms & Conditions should be signed by contractor/Tenderer विधिवत हस्ताक्षरित निविदा के नियम और शर्तें नोट: नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर ठेकेदार/निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए	
Undertaking regarding non-blacklisting of his firm/Individual उसकी फर्म/व्यक्ति को काली सूची में न डालने के संबंध में वचनबद्धता	
Experience Related Document (If Available) अनुभव संबंधी दस्तावेज़ (अगर हो तो)	

जगह/Place: __________________ हस्ताक्षर/Signature: __________________

तारीख/Date: __________________ नाम/ Name: __________________

पता/Address: ____________________________________

____

फ़ोन/मोबाइल नंबर/Phone/Mobile No: __________________

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

("मिनी रत्नश्रेणीकम्पनी–भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म
सूरतगढ़335804-राजस्थान ,श्रीगंगानगर ,
सीआईएन:यू74899डीएल1963जीओआई 003913
(प्रमाणित कंपनी 14001:2015 व 9001:2015 आईएसओ)

(A Government of India Undertaking "Mini Ratna" Company)
CENTRAL STATE FARM
Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone :01509-220006, 2,20084 223877
वेबसाईट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/ E-mail: moc.sdeesaidni@hragtarus.fsc

क्रमांकः – के.रा.फा. / सूरत. / उद्यान / 05 / 2024–25 दिनांकः 21.03.2024

टेण्डर फार्म

विभिन्न उद्यानिकी कार्यो की दरें वर्ष 2024–25

क्र. सं.	कार्य विवरण	छोटे पेड़ नई दरें (रूपये)	बड़े पेड नई दरें (रूपये)
1.	नया बाग लगाना व खाली स्थान पर पेड़ लगाना :–		
	गढ्डों का साईज 3X3X3 फुट वृत्ताकार का खोदना खाद डालना मिलाना व गड्ढा भरना।	.... प्रति गड्ढा	
2.	नर्सरी से पौधे को लाकर पेड़ लगाना व पानी डालना (एक बार)।	.... प्रति पौधा	
3	बाग की गुडाई व खाद उर्वरक डालना का कार्य :–		
	पेड़ो के नीचे बिना जुती जमीन को फावड़े से गुडाई करना, खाद उर्वरक डालना, गुडाई द्वारा फावड़े से मिलाना व तने पर 1–2 फीट तक मिट्टी चढ़ाना पेड़ के नीचे की ऊँची मिट्टी को पेड़ के पास खाली स्थान के गड्ढे में फेंकना	.... प्रति पौधा	.... प्रति पौधा
4.	दवाई छिड़काव		
	बाग में फार्म ट्रैक्टर द्वारा स्प्रेयर से पेड़ो पर दवाई का छिड़काव प्रति टैंकर (400 लीटर)	.... प्रति टैंकर	
5.	बाग मे कटाई व छंटाई का कार्य :–		
	फलदार पेड़ों की सूखी टहनियों की कटाई, छंटाई करना, कटी लकड़ी को पेड़ों के नीचे से उठाकर खेत से बाहर निस्तारण करना।	किन्नू .... माल्टा / मौसमी .... अमरूद .... बेल .... नीबू .... अन्य .... (प्रति पौधा)	किन्नू .... माल्टा / मौसमी .... अमरूद .... बेल .... नीबू .... अन्य ....(प्रति पौधा)
6	बोर्डो पेंटिग कार्य :–		
	बोर्डो पेंट तैयार करना, कटाई व छंटाई की गई शाखाओं के कटे भाग पर पेंट से पुताई तथा तने पर 1–2 फीट की उंचाई तक पेंटिग करना पेड़ की शाखा मे काले गोंद वाले स्थानों की पुताई करना।	.... प्रति पौधा	.... प्रति पौधा

हस्ताक्षर/Signature: ____________________

7	बाग में सुधार कार्य :–		
	(अ) सूखे बीमार अवांछित पौधो की 2 फीट गहराई तक जड़ से उखाड़ना व फार्म ट्रॉली मे लोड करके स्टोर पर उतारना।	.... प्रति पौधा	.... प्रति पौधा
	(ब) बाग में फलदार पौधों के बीच में उगे हुए जंगली पौधों को जड़ से उखाड़ कर बाहर निकालना	.... प्रति मुरब्बा	
8.	बाग में फलदार पौधों की डिसवडिंग करना	.... प्रति पौधा	.... प्रति पौधा
9.	जट्टी खट्टी के फल तोड़कर बीज निकालना, क्यारी बनाकर बीज बोना।	...........प्रति किलो	–
10.	पोलीथीन की थैली (बालू+खाद+मिट्टी) मिश्रण से भरना, क्यारी बनाकर लाईन में लगाना व बीज बोना व पानी लगाना।	...........प्रति थैली	–
11.	पोलीथीन की थैलियों में निराई व गुडाई करना (10X1 मी. क्यारी)।	...........प्रति क्यारी	–
12.	घास काटकर लाना और पिण्डी सहित पौधे निकालकर घास में बांधकर पैकिंग करके देना।	.... प्रति पौधा	–
13.	छोटे बीजू पौधों को क्यारी में या पौलीथीन में षिफ्ट करना और पानी लगाना।	...........प्रति पौधा	–
14.	नयी क्यारी 10X1 मी. आकार की बनाकर तैयार करना।	.... प्रति क्यारी	–
15.	नर्सरी की क्यारी को खुरपी से निराई, गुड़ाई करना(10X1 मी. क्यारी)	...........प्रति क्यारी	–
16.	बडिंग / ग्राफटिंग से तैयार पौधो को क्यारी बनाकर षिफ्ट करना व पानी लगाना।	...........प्रति पौधा	–
17.	ट्रक में पौधो को चढाना या उतारना।	...........प्रति पौधा	–
18.	पोलीथीन की थैलियों को क्यारी बनाकर क्यारी से क्यारी में लाईन में सेटिंग करना (दर प्रति थैली)	.... प्रति थैली	–
19.	फार्म ट्रेक्टर ट्राली से बालू रेत लोड कर नर्सरी (EPO या HO) में लाकर उतारना।	...........प्रति ट्रॉली (लोडिंग / अनलोडिंग)	
20.	प्राइवेट ट्रेक्टर ट्राली से बालू रेत लोड कर तथा नर्सरी (EPO या HO) में लाकर उतारना।	...........प्रति ट्रॉली (लोडिंग / अनलोडिंग)	
21.	फार्म के ट्रेक्टर ट्राली मे गोबर की खाद कीमत सहित लोड करके लाना व EPO या HO में डालना।	...........प्रति ट्रॉली (लोडिंग / अनलोडिंग)	
22.	प्राइवेट ट्रेक्टर ट्राली मे गोबर की खाद कीमत सहित लोड करके लाना व EPO या HO में डालना।	...........प्रति ट्रॉली (लोडिंग / अनलोडिंग)	
23.	प्लेवा व प्रथम पानी लगाना दर प्रति एकड	.... प्रति एकड	
24.	दूसरा व अन्य पानी लगाना	.... प्रति एकड	
25.	खालों का कार्यः–		
	खालों का डिसिल्टिंग करना व घास निकालना व पटरी की सफाई करना दर प्रति मीटर	.... प्रति मीटर	
	खालों की घास निकालना व पटरी की सफाई करना दर प्रति मीटर	.... प्रति मीटर	
	खालों का डिसिल्टिंग करना व पटरी की सफाई करना दर प्रति मीटर	.... प्रति मीटर	

हस्ताक्षर/Signature: ___________________

26.	वानिकी पौधों का वृक्षा रोपण का कार्यः–		
	1X1X1 फुट साईज का गड्ढा खोदना, नर्सरी से पौधे को पिण्डी सहित उखाड़ना व लगाने हेतु ले जाकर लगाना तथा एक बार पानी डालना।	..........प्रति पौधा	
27.	यूरिया व डीएपी खाद का बुरकाव करना (दर प्रति एकड़)	.... प्रति एकड	

जगह/Place: __________________ हस्ताक्षर/Signature: __________________

तारीख/Date: __________________ नाम/ Name: __________________

पता/Address: ____________________________________

____

फ़ोन/मोबाइल नंबर/Phone/Mobile No: __________________

आधार न./Aadhaar No.________________

पेन न./PAN No.________________

क्रमांकः – के.रा.फा./सूरत./उद्यान/05/2024–25 दिनांकः 21.03.2024

विभिन्न उद्यानिकी कार्यो के लिए नियम व शर्तें वर्ष 2024–25

1. उद्यान एवम् नर्सरी कार्यों की निविदा में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा–खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हो।

2. विभिन्न उद्यानिकी कार्यों को करने के इच्छुक ठेकेदार को उद्यान के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों का ठेका एक वर्ष के लिए लेने हेतु **ईएमडी** रूपये **10000/–(रूपये दस हजार मात्र)** व **निविदा प्रपत्र राशि 236/– रुपये (200+18% GST)** को फार्म खाते मे जमा कराना होगा। असफल निविदादाता की ईएमडी राशि निविदा समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

3. सफल निविदादाता को ठेके के सम्बन्ध में रूपये **500/– (रूपये पांच सौ मात्र)** के **नान् ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर** जो पार्टी को उपलब्ध करवाना होगा पर एक **समझौते (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर** करने होगें ।

4. सफल निविदादाता को समझौते के साथ सुरक्षा राशि (Security Money) 10000/– फार्म खाते मे जमा करानी होगीं। उक्त राशि में ईएमडी की राशि भी समायोजित की जा सकती है। सुरक्षा राशि कार्य समाप्ति के बाद में बिना ब्याज के बापस कर दी जायेगी ।

5. यह अनुबंध दोनों फर्मो के बीच समझौता होने की तिथि से लागू होगा और अनुबंध की वैधता अवधि के अनुसार मान्य होगा। एक बार अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद सहमत दरें अनुबंध की अवधि के लिए मान्य होंगी जैसा कि निविदा में निर्धारित है। अनुबंध को पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के लिए समान नियम–शर्त और दरों पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

6. फर्म द्वारा एकबार उद्धृत मूल्य अनुबंध की अवधि के लिए, बिना किसी वृद्धि/वृद्धि के किसी भी कारण से, जहां भी अनुबंध में विशेष रूप से प्रदान किया गया हो, के लिए रहेगा। उद्धृत मूल्य पीएफ, ईपीएलआई, ईएसआई, बोनस, बीमा और किसी भी अन्य वैधानिक देनदारियों के समावेशी होगा।

7. मूल्य उद्धृत करते समय बोलीदाता को राजस्थान सरकार के प्रचलित लागू न्यूनतम वेतन (Minimum wages) को ध्यान में रखना चाहिए। यह बोलीदाता की जिम्मेदारी है कि वह अनुबंध के तहत किए जाने वाले सभी दायित्वों के बारे में खुद को शिक्षित करे।

8. श्रमिक ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की कर सम्बधित, भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि श्रमिक ठेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि आवश्यकता होने पर फार्म द्वारा कभी भी जॉचा जा सकता है।

9. यदि कोई ठेकेदार ठेका लेने/सहमति पत्र पर स्वीकृति के बाद कार्य करने के लिए पर्याप्त श्रमिकों का प्रबन्ध समय से नहीं कर पाता है तो उद्यान प्रभारी/खण्ड प्रभारी अपने स्तर पर प्रबन्ध करेगें यदि इस कार्य में निर्धारित दर से अधिक देना पड़ता है या निगम को कोई हानि होती है तो वह राशि ठेकेदार के द्वारा फार्म खाते मे जमा राशी, बिल व अन्य कार्य के बिलो से काटी जायेगी।

10. कोई भी ठेकेदार या ठेकेदार का श्रमिक फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा यदि कोई ठेकेदार पशु रखते हुए पाया गया तो ठेकेदार का ठेका रदद् किया जा सकता है।

11. उद्यानिकी कार्यों को करने के लिए कस्सी, दंराती तथा कसौला आदि ठेकेदार/ठेकेदार के मजदूर स्वयं लेकर आयेगें।

12. कार्यो की जांच का कार्य फार्म द्वारा किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दोबारा निःशुल्क करना होगा। दोबारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के द्वारा फार्म खाते मे जमा राशी, बिल व अन्य कार्य के बिलो से उस नुकसान की भरपाई कर ली जावेगी।

13. किसी भी प्रकार के कार्य के लिए किसी भी निश्चित समय पर कोई अग्रिम देय नहीं होगा ठेकेदार अपने खर्च पर श्रमिको संसाधनों व श्रमिको की व्यवस्था करेगा। विषेश स्थिति में फार्म प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।

14. कार्य का भुगतान कार्य की समाप्ति के बाद ही किया जायेगा तथा बिल में से आवश्यकतानुसार टैक्स आदि की कटौती की जावेगी। बिल राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं/फर्म के बैंक खाते में ही किया जायेगा। किसी कारण से श्रमिक ठेकेदार को बिल के भुगतान में देर होने पर भी श्रमिक ठेकेदार को कार्य समय पर पूरा करवाना होगा।

15. ठेकेदार की लापरवाही अथवा मजदूरों की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार के द्वारा फार्म खाते मे जमा राशी, बिल व अन्य कार्य के बिलो से की जावेगी।

16. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक पलोट/मुराबा/चक का बिल अलग–अलग देना होगा।

17. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्यों का बिल पखवाड़े अथवा महीने के हिसाब से प्रस्तुत करना होगा।

18. ठेकेदार को मजदूरों को लाने ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि किसी परिस्थितिवश मजदूरों को लाने ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था फार्म को करनी पड़ी तो वह पूरा खर्चा फार्म की निर्धारित दरों पर ठेकेदार द्वारा देय होगा।

19. फसल में पानी लगाते समय खालों की देख रेख एवं पानी लगाने तक का कार्य मन्जूर दरों पर करना होगा। यदि फसल में अधिक पानी लगा दिया गया तो फसल में से अधिक पानी को ठेकेदार द्वारा निःशुल्क निकालना होगा।

20. यदि फार्म सुपरवाईजर/अधिकारी/कमचारी तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा निदेशक महोदय या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

21. यदि ठेकेदार व उसके मजदूरों के बीच किसी तरह का विवाद न्यायालय में जाता है तो ठेकेदार फार्म का बचाव अपने खर्चे पर करेगा। यदि फार्म को न्यायालय में अपना बचाव स्वयं करना पड़ा तो, जो भी खर्चा फार्म को होगा वह ठेकेदार से भरपाई किया जायेगा।

22. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।

23. श्रमिक ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई (बीज उपचार एवं फसलों में स्प्रे करवाते समय) का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने स्वयं देने होगें। फसलों में स्प्रे करते समय अथवा बीजों का उपचार करते समय **बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व बीमार मजदूरों** को काम पर नहीं लगायेगा तथा उद्यान इन्चार्ज द्वारा बताये गये निर्देशों का पालन करेगा। कार्य के दौरान उक्त श्रमिकों को दवाई लगने की स्थिति में, श्रमिक ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर उपचार करवायेगा।

24. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,1986 के अनुसार बच्चो व शराब पीऐ हुऐ मजदूरों को फार्म में कार्य पर लगाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।

25. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक पूर्ण नही किया जाता है तो उसकी ईएमडी राशि/सुरक्षा राशी या दोनो को जब्त करते हुए उसका नाम 02 वर्षों के लिये डिबार सूची में डाल दिया जायेगा व उद्यानिकी कार्यो व अन्य कार्यो से जुडे बिलो का भुगतान नही किया जायेगा।

26. सभी कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में समय से श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी।

27. सफल निविदादाता को आवंटित चक/क्षेत्र में यदि उसके द्वारा कोई कार्य समय से नही किया जाता है या कार्य हेतु मजदूर उपलब्ध नही कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्य किसी अन्य ठेकेदार से सफल निविदादाता की दर से करा लिया जायेगा, जिससे उसे कोई ऐतराज नही होगा।

28. **Arbitration clause** (मध्यस्थता खंड) **:** यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। पार्टियां कानून के न्यायालय में जानें से पहले मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

<u>कृषि अधिकारी</u>

निविदादाता के हस्ताक्षर